119

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर ,कैम्प रीवा, जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2013

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

621 21-10-13

R-4341-II/13

मो० जुनैद उम्र 65 वर्ष तनय स्व० अलीमुद्दीन अंसारी निवासी गुलबसिया चौराहा पुराना म०नं० 127/17 नया मकान नं० 7/30 रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र० ---------------- आवेदक

आवेदक मो. जुनैद द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 21.X.13

विरुद्ध

1- पैसी देवी उम्र 60 वर्ष पत्नी भगवानदीन

2- संतोष उर्फ लल्लू उम्र 40 वर्ष तनय भगवानदीन गुप्ता

3- आशीष उर्फ राजू उम्र 38 वर्ष तनय भगवानदीन गुप्ता

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

4- ऊषा उम्र 35 वर्ष पुत्री भगवानदीन गुप्ता

5- तुलसी उम्र 30 वर्ष पुत्री भगवानदीन गुप्ता

6- सुभाष उम्र 36 वर्ष तनय बल्देव गुप्ता

23-11-13

7- रानी उर्फ मनरजनी उम्र 75 वर्ष पत्नी बल्देव प्रसाद

निवासीगण मोहल्ला गुढ़हाई बाजार हामिद रजा के मकान के बगल में रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र० ---------- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन 1959ई० विरुद्ध आदेश नजूल तहसीलदार रीवा दिनांक 18-9-13 जो राजस्व प्रकरण क्र० 157अ-6/11-12, पैसीदेवी वगैरह विरुद्ध ऊषा वगैरह। में पारित

मान्यवर,

पुनरीक्षण से संबंधित तथ्य

1अ। आवेदक एवम आवेदक के भाई ने दिनांक 3-2-89 को मोहल्ला

-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 4346–तीन/2013 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
18/07/18	दोनों पक्षों के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुनी जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार नजूल रीवा के प्रकरण क्रमांक 157 अ–6/11–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–9–2013 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा किये गये तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह मामला तहसीलदार नजूल रीवा के समक्ष दो मंजिला पुराना मकान नंबर 127/17 वर्तमान नया नंबर 7/30 स्थित गुड़हाई बाजार रीवा के नामान्तरण पर आधारित है। रीवा नगरीय क्षेत्र है, जो नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत है। नगरीय क्षेत्र स्थित भवनों के नामान्तरण की कार्यवाही तहसीलदार नजूल के यहां विचारित होगी अथवा नगर पालिक निगम रीवा में विचारित होगी , अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में यह मत स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार नजूल रीवा के अंतरिम आदेश दिनांक 18–9–2013 के अवलोकन पर परिलक्षित है कि तहसीदार ने नामान्तरण प्रकरण क्रमांक 157 अ–6/11–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–9–2013 से आपत्तिकर्ता की आपत्ति इस आधार पर अमान्य की है कि राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की संक्षिप्त जांच करते है तथा वारिसाना नामान्तरण में सजरा खानदान के आधार पर नामान्तरण तथ्य अनुसार निर्णय करते हैं। किसका कब्जा है कौन किरायेदार है यह सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की बाते	

हैं जिनका उस न्यायालय में निर्णय होने पर राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। अतः मो.जुनैव अंसारी की आपत्ति निरस्त की जाती है। प्रकरण पूर्ववत अंतिम साक्ष्य हेतु।

तहसीलदार नजूल के उक्तानुसार निर्णय से प्रतीत होता है कि नामान्तरण प्रकरण में विचार के लिये, मकान पर किसका कब्जा है एंव किरायेदार कौन है, जांच नहीं की जाती है अपितु विकय पत्र के आधार पर अथवा सजरा खानदान के आधार पर पात्रता की छानवीन करके नामान्तरण कार्यवाही की जाती है। आवेदक को तहसीलदार के समक्ष आगामी सुनवाई के दौरान पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण तहसीलदार नजूल रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 157 अ–6/11–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–9–2013 में लिये निर्णय में किसी प्रकार का दोष परिलक्षित न होने से निगरानी इसी–स्तर निरस्त की जाती है।

सदस्य